हिन्दुस्तान
महिला
हेल्प डेस्क
हिन्दुस्तान
मिशन
शक्ति
महिला सहायता एवं सुरक्षा,हेल्पलाइन
181
महिला हेल्पलाइन
1076
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
112
1098
102
108
JK COPIER

IPS

प्रेस नोट

आज दिनांक 03.03.2021 को श्री भानु भास्कर, अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद कानपुर नगर सभागार में जनपद कानपुर नगर के समस्त राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों के साथ महिला हेल्प डेस्क के सुचारू रूप से संचालन किये जाने, अगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने आदि के सम्बन्ध में गोष्ठी आहुत की गयी। गोष्ठी में श्री मोहित अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर, श्री प्रीतिन्दर सिंह, डी0आई0जी0/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद कानपुर नगर व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। गोष्ठी के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया।

–: गोष्ठी में निर्गत महत्वपूर्ण बिन्दु :–

1–शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा निर्गत परिपत्रों का गहनता से अध्ययन कर दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2–पीडित जनता द्वारा प्राप्त शिकायतो को संवेदनशीलनता के साथ सुनकर उसका निस्तारण किया जाये।

3–महिला सम्बन्धी घटित अपराधों को संज्ञान में लेकर त्वरित निष्पक्ष कार्यवाही की जाये।

4–भ्रष्टाचार –जीरो टालरेंस का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाये।

5–थानों में महिला सुरक्षा समिति का गठन किया जाये।

6–महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कर प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

7–सभी थानों में फर्स्ट एड बाक्स उपलब्ध हो तथा फर्स्ट एड बाक्स के प्रयोग हेतु कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाये।

8–अच्छे कार्य करने वाली महिला कर्मियों को पुरस्कृत किया जाये।

9–चिन्हित माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही कराते हुए धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की जाय।

10–अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्तियों को चिन्हित कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

11–सेल्फ प्रोटेक्शन के तहत उपलब्ध पुलिस बल का 10 प्रतिशत कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाये।

12–सभी अधिकारी क्षेत्र में कार्यवाही के समय अपने साथ चलने वाले पुलिस बल को सुरक्षार्थ बुलेटप्रूफ जैकेट, हेलमेट, डण्डा, बाडी प्रोटेक्टर, टार्च आदि उपकरणों से सुसज्जित रखा जाये।

13–एन0एस0ए0 की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अपराधियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

14–सी0सी0टी0वी0 कैमरों को सही हालत में रखकर समुचित उपयोग किया जाये।

15–अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु उनका पारिवारिक सिजरा नोट कर गहन जानकारी कर अपराध में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

बैठक के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर सहित अन्य पुलिस बल के साथ फुट पेट्रोलिंग एवं जन संवाद के कम में थाना चमनगंज, बेकनगंज, हलीम कालेज पैदल गश्त करते हुए थाना सीसामऊ पहुॅचे जहां पर महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हुए थाना बजरिया क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त के दौरान विभिन्न स्थानों पर व्यापारियों/जनता के व्यक्तियों से जन संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

Scanned with CamScanner